12.1.2023

पत्रावली पेश हुई।

वकील प्रार्थीया उपस्थित। विप्रार्थीगण को सुनवाई हेंतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उनके जवाब का अवसर समाप्त किया जाता है।

प्रार्थीया वकील की बहस सुनी गई।

प्रार्थी वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थिया एवं विप्रार्थी संख्या 01 का संयुक्तखातेदारी का खेत खसरा संख्या 85, 86, 86/1, 86/2 रकबा 0.1294 21.6893, 0.4126, 11.2289 हेक्टर कुल रकबा 33.4602 हेक्टर मोजा डाबड़ भाटियान, पटवार मंडल–एड सिणधरी, तहसील–सिणधरी मे आया हुआ है। उक्त भूमि में प्रर्थीया का 1/12 हिस्सा उनके पिता स्व. श्री जोरसिंह के देहान्त होने पर उनके प्रथम श्रेणी की वारिसान होने पर हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार सह खातेदार बतौर होती है। स्व. जोरसिंह के देहान्त पर उत्तराधिकार का नामान्तकरण संख्या 148 किसकी सूचना पर खोला जाकर तस्दीक हुआ इसका ज्ञान प्रार्थीया को नही है और न ही प्रार्थीया को पंचायत के द्वारा विरासत के नामान्तकरण की जांच बाबत कोई नोटिस प्राप्त हुआ। जोरसिंह के फौतगी का नामान्तकरण विप्रार्थी संख्या 01 ने पटवारी से मिलकर उनकी जईन्दा बहन को बारीसान न बताकर गलत व अवैध रूप से अपने नाम से तस्दीक करवाया गया जो खारिज किये जाने योग्य है। जबकि जोरसिंह के देहान्त के बाद उनके समस्त वारीसान का उपरोक्तआरजी में खातेदारी अधिकार पैदा हो चुके थे। तथा वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थीया एवं विप्रार्थी संख्या 1 का अपने हिस्सेनुसार कब्जा व काश्त है। तथा इसी तरह से मौके अन्य पक्षकारान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन प्रार्थीया अनपढ व औरत जात होने के कारण इस ... अपना नाम खातेदारी में दर्ज होने का ज्ञान ... विप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीया के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ... आज से करीबन दो सप्ताह भर पूर्व विप्रार्थी संख्या अनुचित लाभ उठाते ... वादग्रस्त आरजी से प्रविष्टि का कुछ भूमि का बेचान करने पर उतारू है उक्त बेचान का प्रार्थया ने विरोध किया तो उक्त विप्रार्थी ने धमकी दी और कहा की उक्त आरजी मेरी है मुझे बेचने से कोई नहीं रोक सकता है। तब प्रार्थीया ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपने खेत के राजस्व रेकर्ड की नकले ली तब पता चला की

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.02.17 15:05:25 IST
Reason: SelfAttested

001/2021

पर्क कर अपने खेत के राजस्व रेकर्ड की नकले ली तब पता चला की प्रार्थया का नाम रेकर्ड में दर्ज नहीं है तब माननीय न्यायालय में खातेदारी की घोषणा हेतु वाद पेश किया जाकर घोषणा होने तक अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन श्रीमानजी के न्यायालय में पेश किया जा रहा है। विप्रार्थीगण अपनी धमकी के अनुसार उक्त भूमि में से किसी को बिना बंटवाड़ा कराये बेचान करने पर उतारू है और रोड़ के नजदीक व अच्छी किस्म की भूमि पर अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहें है। विप्रार्थीगण अपने हिस्से से ज्यादा जमीन पर काश्त कर लेते है और वर्तमान मे बिना किसी प्रकार का बंटवाड़ा कराये विप्रार्थीगण के द्वारा अवैध रुप से बाड़ बनाकर अपने कब्जे का विस्तार किया जा रहा है विप्रार्थीगण वादग्रस्त खेतो मे अपने कब्जे काश्त से हटकर प्रार्थीया के कब्जे काश्त में दखल दे रहे है और प्रार्थीया को अपने कब्जे से करने पर उतारू है। जिस पर प्रार्थीया को मौके की बनाये रखने का अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया वाद, सुविधा का संतुलन और अपूर्णीण क्षति उक्त तीनो बातें प्रार्थया के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए मूल वाद के निर्णय तक विप्रार्थीगण के विरुद्ध खसरा संख्या 85 86 86/1, 86/2 रकबा 0.1294, 21.6893, 0.4126. 11.2289 हेक्टर कुल रकबा 33:4602 हैक्टर मौजा डाबड़ भाटियान, पटवार मंडल एड सिणधरी, तहसील–सिणधरी के रेकर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने, नया निर्माण जुड़ी करने और किसी प्रकार का बेचान नहीं करने का अस्थायी निषेधाज्ञा में फरमायें।

हमनें प्रार्थीया के वकील की एकपक्षीय बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन एवं परीक्षण किया, जिसके अनुसार पाया गया कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 85 86 86/1, 86/2 रकबा 0.1294, 21.6893, 0.4126. 11.2289 हेक्टर कुल रकबा 33:4602 हैक्टर मौजा डाबड़ भाटियान, पटवार मंडल एड सिणधरी, तहसील–सिणधरी भूमि प्रार्थीया एवं विप्रा[illegible]1 की पैतृक एवं सामलाती कब्जे काश्त [illegible] तर्क है कि विप्रार्थीगण, प्रार्थीया के [illegible] कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे है व और [illegible] के नजदीक व अच्छी किस्म की भूमि पर अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रद्दोबदल करने पर प्रयासरत है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि वारिसान की हैसीयत से विवादित आराजी में प्रार्थीया का हिस्सा बनता

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.02.17 15:05:25 IST
Reason: SelfAttested

Reqn to Sudh... Projected by ... सेवामें, ...

कि वारिसान की हैसीयत से विवादित आराजी में प्रार्थीया का हिस्सा बनता है का निस्तारण मूल वाद के जरिये साक्ष्य/सबूत के आधार पर पक्षकारान की सुनवाई निर्णित किया जाना है, परन्तु प्रथम दृष्टया प्रार्थी द्वारा व्यक्त अपने अभिकथनों के अनुसार यदि दौराने विचारण वाद विवादित भूमि का आगे–से–आगे बेचान के जरिये कब्जे काश्त की स्थिति में रद्दोबदल अथवा मौका स्थिति में भिन्नता की स्थिति पैदा होने की दशा उत्पन्न होती हैं तो पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार नहीं किया जा सकता है और प्रकरण को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदीगीया बढेगी। उपरोक्त परिस्थिति को मदद्वेनजर रखते हुए मूलवाद के निर्णय तक विप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थीया का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

लिहाजा प्रार्थीया का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूलवाद के निर्णय तक विप्रार्थीगण को जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा डाबड़ भाटियान, पटवार मंडल एड सिणधरी, तहसील–सिणधरी के खेत खसरा संख्या 85 86 86/1, 86/2 रकबा 0.1294, 21.6893, 0.4126. 11.2289 हेक्टर कुल रकबा 33:4602 हैक्टर भूमि में प्रार्थिया के हिस्से के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)
...DO सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.02.17 15:05:25 IST
Reason: SelfAttested